



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 636 राँची, बुधवार, 18 अग्रहायण, 1942 (श०)
09 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

संकल्प

27 नवम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-102/2016-11874 (HRMS)-- श्री जीतराय मुर्मू, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-सरायकेला-खरसावाँ), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खूँटपानी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के विरुद्ध उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक-779/वि0, दिनांक 18.07.2016 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, श्री मुर्मू के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों का सारांश इस प्रकार है:-

1. 24 लाभुकों को मनरेगा एवं भूमि संरक्षण मद से डोभा स्वीकृत कर राशि का भुगतान दोनों मद से किया गया, लेकिन केवल एक ही डोभा का निर्माण कर एक ही डोभा पर दुहरा भुगतान किया गया है।
2. मनरेगा अन्तर्गत डोभा निर्माण संबंधी गलत/भ्रामक प्रतिवेदन जिला को समर्पित करना।
3. अपने अधिनस्थ पदाधिकारी/कर्मों पर नियंत्रण का पूर्ण अभाव।
4. भूमि संरक्षण विभाग तथा प्रखण्ड कार्यालय में समन्वय का अभाव।

5. मनरेगा योजना में कुछ डोभाओं में मशीन का प्रयोग किया जाना।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7353, दिनांक 24.08.2016 द्वारा श्री मुर्मू से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री मुर्मू के पत्रांक-865, दिनांक 14.09.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री मुर्मू के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-8836, दिनांक 13.10.2016 द्वारा उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा से मंतव्य की माँग की गई। जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक-291/वि0, दिनांक 16.03.2017 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री मुर्मू के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं प्रतिवेदित किया गया।

श्री मुर्मू के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-2151(HRMS), दिनांक-04.09.2018 द्वारा श्री मुर्मू के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर पत्रांक-54, दिनांक-05.03.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री मुर्मू के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप संख्या-1 को आंशिक रूप से सही; आरोप सं0-2 सही; आरोप संख्या-3 आंशिक रूप से सही तथा आरोप संख्या-4 एवं 5 को सही प्रतिवेदित किया गया।

श्री मुर्मू के विरुद्ध आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं स्पष्टीकरण संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री मुर्मू के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा पूछने का निर्णय लिया गया।

विभागीय पत्रांक-3290, दिनांक 24.04.2019 द्वारा श्री मुर्मू से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई तथा इनसे उत्तर अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक-6639, दिनांक 21.08.2019 एवं पत्रांक-3477, दिनांक 21.07.2020 द्वारा इसके लिए स्मारित किया गया। श्री मुर्मू द्वारा अपने पत्रांक-581, दिनांक 24.08.2020 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित की गई।

श्री मुर्मू द्वारा समर्पित द्वितीय कारण-पृच्छा के मुख्य बिन्दु एवं विभागीय समीक्षा इस प्रकार है:-

(i) आरोप संख्या-1 मनरेगा अन्तर्गत 24 लाभूकों का डोभा निर्माण की स्वीकृति संबंधित ग्राम सभा से लाभूकों का अनुमोदन एवं ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख संधारित करने के फलस्वरूप प्राप्त हुआ था। मनरेगा योजना का कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत थी। योजना अभिलेख की स्वीकृति मनरेगा के निहित प्रावधानों व शर्तों के अन्तर्गत की गयी थी, जिसमें किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता व मनरेगा प्रावधानों का उल्लंघन होने पर सारी जवाबदेही ग्राम पंचायत की थी। इच्छुक 24 में से 19 लाभूक ऐसे रहे हैं, जिन्हें अलग-अलग खाता प्लॉट में मनरेगा एवं भूमि संरक्षण विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

समीक्षा- श्री मुर्मू का कथन मान्य नहीं है क्योंकि संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि आरोपी द्वारा ही लाभूकों की सूची भूमि संरक्षण कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी थी तथा उनके द्वारा ही उन लाभूकों को मनरेगा योजना के अन्तर्गत योजना स्वीकृत की गयी। आरोपी के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह पता चल सके कि एक लाभूक को अलग-अलग प्लॉटों के लिए क्रमशः मनरेगा एवं जिला भूमि संरक्षण कार्यालय के तहत प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी हो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक ही लाभूक के लिए दोनों कार्यालयों के तहत योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने के कारण दो स्रोतों से राशि का भुगतान संभव हो सका। इसलिए इस दोहरे भुगतान के लिए श्री मुर्मू निश्चित रूप से जिम्मेवार प्रतीत होते हैं।

(ii) आरोप संख्या-2 प्रखण्ड में वृहद् रूप से मनरेगा एवं भूमि संरक्षण विभाग द्वारा डोभा निर्माण का कार्य कराया जा रहा था, जिसका प्रतिदिन का प्रगति प्रतिवेदन पंचायत सचिव/जनसेवक/रोजगार सेवक एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के सत्यापन के फलस्वरूप भेजा जा रहा था। जिला/विभाग को भ्रामक प्रतिवेदन भेजने की मंशा कभी भी नहीं रही है।

समीक्षा- श्री मुर्मू द्वारा पंचायत सचिव, रोजगार सेवक एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर जिला में कुल 396 डोभा निर्माण पूर्ण संबंधी प्रतिवेदन ैंड के माध्यम से जिला मुख्यालय को भेजे जाने की बात संचालन पदाधिकारी के समक्ष स्वीकार की गयी है, जबकि बाद में सत्यापन के दौरान 396 डोभा के स्थान पर मात्र 63 डोभा ही पूर्ण पाया गया। क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन को साक्ष्य के रूप में संलग्न नहीं करने एवं पूर्ण प्रतिवेदित डोभाओं की संख्या में इतना अंतर के आलोक में श्री मुर्मू का कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

(iii) आरोप संख्या-3 वे लगातार प्रखण्ड के कर्मियों एवं पदाधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही वे स्वयं कार्यों का औचक निरीक्षण एवं सभी पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किये हैं, फिर भी सभी डोभा निर्माण कार्यों का निरीक्षण करना संभव नहीं था। कमजोर प्रदर्शन करने वाले कर्मियों से कारण-पृच्छा भी की जाती रही है।

समीक्षा- श्री मुर्मू का कथन अमान्य है, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले अधीनस्थ कर्मियों से कारण-पृच्छा अथवा कोई चेतावनी दिये जाने संबंधी कोई साक्ष्य इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के साथ संलग्न नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रखण्ड में चल रही विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किये जाने के उपरान्त जिला के वरीय पदाधिकारियों को भेजा गया कोई प्रतिवेदन साक्ष्य के रूप में संलग्न नहीं किया गया है।

(iv) आरोप संख्या-4 वे भूमि संरक्षण विभाग एवं प्रखण्ड कार्यालय से समन्वय हेतु आपस में समीक्षात्मक बैठक भी किये हैं।

समीक्षा - साक्ष्य के अभाव में श्री मुर्मू का कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

(v) आरोप संख्या-5 मनरेगा योजना में मशीन से कोई कार्य नहीं कराया गया है, और ना ही इस तरह की वार्ता उनके संज्ञान में आयी है। भूमि संरक्षण विभाग से कराये गये कार्यों में कोई शर्त नहीं होने के कारण एक ही जगह अगल बगल होने के कारण भूमि संरक्षण विभाग से कराये गये कार्यों को उपस्थित लोगों द्वारा जाँच दल के समक्ष बताया गया, जो गलत है।

समीक्षा- उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के आदेश जापांक-1776/गो0 दिनांक-04.07.2016 के आलोक में खूँटपानी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत-भोया में डोभा निर्माण योजनाओं की जाँच प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा की गयी थी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन के क्रमांक-10 पर अंकित मंगल सिंह का डोभा निर्माण, क्रमांक-21 पर अंकित बरनाबास का डोभा निर्माण, क्रमांक-22 पर अंकित कार्तिक हेम्ब्रोम का डोभा निर्माण एवं क्रमांक-23 पर अंकित बन्दीराम हेम्ब्रोम का डोभा निर्माण कार्य में मशीन का उपयोग प्रतिवेदित किया गया है, जबकि इन डोभाओं के निर्माण की स्वीकृति सिर्फ मनरेगा के अंतर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के स्तर से दी गयी है। उक्त आधार पर श्री मुर्मू का कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः श्री जीतराय मुर्मू, झा0प्र0से0 तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खूँटपानी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	JITRAY MURMU 110021163856	श्री जीतराय मुर्मू, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खूँटपानी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS2972
